Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 32–2020/Ext.] CHANDIGARH, SATURDAY, FEBRUARY 29, 2020 (PHALGUNA 10, 1941 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 29th February, 2020

No. 16-HLA of 2020/28/3875.— The Haryana Pond and Waste Water Management Authority (Amendment) Bill, 2020, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 16-HLA of 2020

THE HARYANA POND AND WASTE WATER MANAGEMENT AUTHORITY (AMENDMENT) BILL, 2020

A

BILL

further to amend the Haryana Pond and Waste Water Management Authority Act, 2018.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Pond and Waste Water Management Authority (Amendment) Act, 2020. Short title.

2. For clauses (xv), (xvi) and (xvii) of sub-section (3) of section 3 of the Haryana Pond and Waste Water Management Authority Act, 2018 (hereinafter called the principal Act), the following clauses shall be substituted, namely:- Amendment of section 3 of Haryana Act 33 of 2018.

"(xv)	An officer, who is serving or has served on a post in the Central Government or any State Government or any Public Sector Organisation or Organisation under the ownership or control of the State or the Central Government not below the rank or equivalence of Chief Engineer, to be appointed by the Government as Technical Advisor	Member
(xvi)	Three persons from amongst experts/social workers in the field of environment, ecology or pond development and conservation, to be appointed by the Government	Non-Official Members

(xvii)	An officer, who is serving or has served on a post in any Engineering department of the State or the Central Government not below the rank or equivalence of Chief Engineer to be appointed by the Government.	Member Secretary"

Amendment of section 4 of Haryana Act 33 of 2018.

3. For sub-sections (1) and (2) of section 4 of the principal Act, the following sub-sections shall be substituted, namely:-

"(1) The tenure, salaries, allowances and other conditions of the service of the Executive Vice-Chairperson, Technical Advisor and Member Secretary shall be such, as may be prescribed:

Provided that the Executive Vice-Chairperson, Technical Advisor and Member Secretary shall not hold office beyond the age of sixty-five years.

(2) The tenure of the non-official members shall be such, as may be prescribed.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

To achieve the object of development, protection, rejuvenation, conservation, construction & management; utilization of pond water in Haryana for irrigation, alongwith necessary powers and functions, The Haryana Pond and Waste Water Management Authority Act, 2018 was framed. The Haryana Pond and Waste Water Authority has been working from more than one year. After passage of more than one year, it has been observed that the qualification and experience of Technical Advisor & Member Secretary is on higher side. Such officers are not easily available to make the appointment. Accordingly, To run smoothly and increase the efficiency of The Haryana Pond and Waste Water Management Authority, an Amendment is necessary

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 29th February, 2020.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2020 का विधेयक संख्या 16 एच.एल.ए.

हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2020

हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण अधिनियम, 2018, को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबंधन प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है।

2018 के हरियाणा अधिनियम 33 की धारा 3 का संशोधन।

2. हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम, 2018 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप–धारा (3) के खण्ड (xv), (xvi) तथा (xvii) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

''(xv)	सरकार द्वारा तकनीकी सलाहकार के रूप में नियुक्त किए जाने वाला एक अधिकारी, जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा किसी सार्वजनिक क्षेत्र संगठन या राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन संगठन में ऐसे पद, जो मुख्य अभियंता या उसके समकक्ष रैंक से नीचे का न हो, पर कार्यरत है या रहा है	सदस्य
(xvi)	सरकार द्वारा पर्यावरण, पारिस्थितिकी या तालाब विकास तथा संरक्षण के क्षेत्र से विशेषज्ञों/समाजिक कार्यकर्ताओं में से नियुक्त किये जाने वाले तीन व्यक्ति	गैर–सरकारी सदस्य
(xvii)	सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाला एक अधिकारी, जो राज्य या केन्द्रीय सरकार के किसी अभियांत्रिकी विभाग में ऐसे पद, जो मुख्य अभियंता या उसके समकक्ष रैंक से नीचे का न हो, पर कार्यरत है या रहा है।	सदस्य सचिव''

2018 के हरियाणा अधिनियम 33 की धारा 4 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) तथा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''(1) कार्यकारी उपाध्यक्ष, तकनीकी सलाहकार तथा सदस्य सचिव की पदावधि, वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं :

परन्तु कार्यकारी उपाध्यक्ष, तकनीकी सलाहकार तथा सदस्य सचिव पैंसठ वर्ष की आयु के बाद पद धारण नहीं करेंगे।

(2) गैर–सरकारी सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी, जो विहित की जाए।''।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा राज्य के तालाबों के विकास व इनकी सुरक्षा, कायाकल्प, संरक्षण, निर्माण तथा प्रबन्धन एवं उपयोग के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, आवश्यक शक्तियों तथा कार्यों के साथ ''हरियाणा तालाब तथा अपशिष्ट जल प्रबन्धन प्राधिकरण अधिनियम, 2018'' की स्थापना की गई है। हरियाणा तालाब तथा अपशिष्ट जल प्रबन्धंन प्राधिकरण एक वर्ष से भी अधिक समय से अपना कार्य कर रहा है। समय बीतने के साथ यह देखा गया है कि तकनीकी सलाहकार व सदस्य सचिव की योग्यता व अनुभव अधिक है। जिसके कारण ऐसे अधिकारी आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इसलिए हरियाणा तालाब तथा अपशिष्ट जल प्रबन्धन प्राधिकरण को सुचारु रूप से चलाने व प्राधिकरण की क्षमता बढ़ाने के लिए संशोधन किया जाना जरूरी है।

मनोहर लाल,
मुख्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 29 फरवरी, 2020.

आर० के० नांदल,
सचिव।

8713—H.V.S.—H.G.P. Pkl.